

FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम डीडवाना-कुचामन




प्रार्थी

अप्रार्थीगण

मुन्नालाल पुत्र रामुराम, जाति जाट, निवासी इन्दोखा, तहसील मकराना। बनाम पुरखाराम पुत्र श्री हीराराम, जाति जाट, निवासी इन्दोखा, तहसील मकराना वगैरह।

किस्म मुकदमा रेस्टोर प्रार्थना पत्र

संख्या... 20 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.04.2025	<p>प्रार्थी मुन्नालाल पुत्र रामुराम, जाति जाट, निवासी इन्दोखा, तहसील मकराना ने अप्रार्थी पुरखाराम पुत्र हीराराम, जाति जाट, निवासी इन्दोखा, तहसील मकराना वगैरह के विरुद्ध पुनः रेस्टोर करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलक्टर, डीडवाना-कुचामन </p> <p>27/5/25 - पत्रावली पेश हुई। ठार संभल गीकाल में दफ्तारी कार्य संपन्न रहा है। पत्रावली दिनांक 2/6/25 को पेश हो।</p> <p>9/6/25 पत्रावली पेश हुई। दफ्तारी रुक पाठ 02 की तरह से कलियु जी सुरेश राय ने पत्रावली पेश किया। पत्रावली काफ़ी जकात दिनांक 17/6/25 को पेश हो।</p> <p>17/6/25 - पत्रावली पेश हुई। श्रीकांत लीकालीर दफ्तारी कलशरु रुक है। पत्रावली 8/7/25 से पेश हो।</p>	<p style="text-align: right;">  जिला कलक्टर, डीडवाना-कुचामन </p> 

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर,

मुकाम

डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25.08.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि दिनांक 07.04.2025 को वकील प्रार्थी व प्रार्थी किसी कार्य से न्यायालय हाजा में हाजिर नहीं हो सके थे जिस कारण निगरानी सं० 12/2023 उनवान मुन्नालाल बनाम पुरखाराम अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गई थी। अतः उक्त पत्रावली पुनः रेस्टोर कर तथा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए मेरिट पर निर्णय करने के आदेश प्रदान करावें।</p> <p>वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 07.04.2025 को विधिपूर्वक खारिज किया है उक्त आदेश विधिवत एवं तथ्यों पर आधारित है। अतः प्रार्थी का रेस्टोर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।</p> <p>बहस के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी संख्या 12/2023 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03.09.2025 को पेश हो।</p>	

25.08.25
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन